सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **37/ 2020** दायर तारीख :– **02-06-2020**

1. देवकरण गुर्जर पुत्र जयराम गुर्जर निवासी काकराना छोटा पोस्ट कुहाडा तहसील विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)। —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित : श्री विनोद कुमार गुर्जर , अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–11.08.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम काकराना छोटा के खाता संख्या 80 के हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 0.85 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थी के दादी के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि मिटिंग आवंटन कमेटी दिनांक 09.06.1992 ग्राम पंचायत कुहाडा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन में प्रार्थी की दादी का नाम प्रभाती पत्नि भंवराराम गुर्जर का नाम गलत इन्द्राज करते हुए प्रभाती पत्नि भुराना अंकित कर दिया, जो की गलत है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी की दादी का सही नाम प्रभाती पत्नि भंवराराम ही है, जिसको कभी किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा जाता। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की दादी का नाम सहवन से प्रभाती पत्नि भूराना दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी की दादी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक प्रभाती पत्नि भंवराराम है। अतः प्रार्थी की दादी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाकै ग्राम काकराना छोटा के खाता संख्या 80 के हाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 36 रकबा 0.85 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की दादी का नाम प्रभाती पत्नि भूराना के बजाय प्रभाती पत्नि भंवराराम जाति गुर्जर दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मीटिंग आवंटन कमेटी दिनांक 09.06.1992 ग्राम पंचायत कुहाडा में आवंटन सलाहकार समिति की प्रतिलिपी क्रम संख्या 10, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम काकराना छोटा खाता संख्या 79 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम काकराना छोटा खाता संख्या 80 संवत् 2076–2079, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र प्रभाती पत्नि भंवरा, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र भंवरा पुत्र भूरान, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007918000022, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007918000025, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007918000024, ग्राम पंचायत कुहाडा लैटर हैड प्रमाण पत्र, शपथ पत्र देवकरण पुत्र जयराम गुर्जर, शपथ पत्र कल्लूराम पुत्र भंवराराम, मृत्यु प्रमाण –पत्र प्रभाती पत्नि भंवराराम गुर्जर आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम काकराना छोटा के खाता संख्या 80 के हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 0.85 हैक्टेयर खातेदारी प्रार्थी के दादी के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2076–2079 है। यह है कि मिटिंग आवंटन कमेटी दिनांक 09.06.1992 ग्राम पंचायत कुहाडा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन में प्रार्थी की दादी का नाम प्रभाती पत्नि भंवराराम गुर्जर का नाम गलत इन्द्राज करते हुए प्रभाती पत्नि भुराना अंकित कर दिया, जो की गलत है, जो कि दुरूस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी की दादी का सही नाम प्रभाती पत्नि भंवराराम ही है, जिसको कभी किसी अन्य नाम से नहीं पुकारा जाता। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की दादी का नाम सहवन से प्रभाती पत्नि भूराना दर्ज है, जो गलत दर्ज है,, जबकि प्रार्थी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दादी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम प्रभाती पत्नि भंवरराम है। यह है कि पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थी की दादी का नाम प्रभाती पत्नि भूराना के बजाय प्रभाती पत्नि भंवरराम गुर्जर कि शुद्वि किये जाना का कथन किया गया है। अतः प्रार्थी की दादी का नाम काबिल दुरूस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संसोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम काकराना छोटा के खाता संख्या 80 के हाल खसरा नम्बर 36 रकबा 0.85 हैक्टेयर खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रभाती पत्नि भूराना के बजाय प्रभाती पत्नि भंवरराम जाति गुर्जर दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 11.08.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर